आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –52 / 2023

समीम मंसूरी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
20.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 2200 / 2020 में दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध दायर है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश में अंकित है कि :– **"Regard being had to the nature of controversy raised on behalf of the petitioner and in view of the notification of the Government dated 21.07.2022 issued by the Government in exercise of the powers conferred under Sections 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 read with Clause -36 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, we direct that in the event of the petitioner making a suitable representation/complaint before the concerned Divisional Commissioner within a period of 30 days, he shall look into the matter and after hearing all the stakeholders including Sikandar Ansari, shall pass a final order within a further period of 60 days, giving reasons in support of the decision taken by him."**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सविस्तार सुना।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी एवं अन्य अभ्यर्थियों ने जन वितरण प्रणाली विक्रेता हेतु आवेदन दिया। मेधा सूची के क्रमांक 03 पर वादी का नाम था। परंतु अभ्युक्ति कॉलम में कुछ कागजात वांछनीय था। इसके बाद कार्यालय से दावा/आपत्ति का समय निर्धारित किया गया। दावा/आपत्ति केवल वादी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष दिया। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मेधा सूची के क्रमांक 01 एवं 02 के अभ्यर्थियों ने कोई दावा आपत्ति नहीं किया। इस प्रकार वादी का नाम मेधा सूची में क्रमांक 01 पर आ गया। वादी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के सभी अर्हता का पूरा करते है। फिर भी विपक्षी सं0–05 (सिकंदर अंसारी) का चयन कर लिया गया जो कि मेधा सूची के क्रमांक 04 पर था। जबकि विपक्षी सं0–05 (सिकंदर अंसारी) को इंटरमिडिएट में 45.8 % ही अंक है एवं वादी का 56.6 % है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी के कम्प्यूटर का प्रमाण–पत्र नेपाल का है जिस आधार पर उनका (वादी) चयन नहीं किया गया है परंतु अन्य परियोजना में इसी कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र के आधार पर चयन किया गया है। इसलिए जिला स्तरीय चयन समिति का आदेश त्रुटिपूर्ण है। जिसे निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0–05 (सिकंदर अंसारी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड बगहा–02 पंचायत बाल्मीकिनगर में अनारक्षित कोटि के जन वितरण प्रणाली के दुकान हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। जिसमें 09 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। उसके आधार पर वरीयता सूची तैयार किया गया। उस वरीयता

WEB COPY NOT OFFICIAL

सूची के क्रमांक 01 से 03 तक के अभ्यर्थी का कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र नेपाल से निर्गत है। जिसके वरीयता क्रमांक 03 पर वादी समीम मंसूरी भी है। परंतु उनका कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र भी नेपाल से निर्गत है जो मान्य नहीं है। जिस कारण जिला स्तरीय चयन समिति ने वादी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया तथा वरीयता सूची के क्रमांक 04 पर विपक्षी सं0–05 (सिकंदर अंसारी) है जो सभी अर्हता को पूरा करते है इसलिए उनका चयन किया गया है, जो नियमानुकूल है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति ने वादी के कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र को नेपाल का होने के कारण वादी का चयन नहीं किया गया है, जो नियमानुकूल है।

उभय पक्षों के उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत बगहा–02 प्रखंड के पंचायत बाल्मीकिनगर में अनारक्षित कोटि का जन वितरण प्रणाली दुकान हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। जिसमें वादी एवं विपक्षी सं0–05 (सिकंदर अंसारी) के अलावे और अभ्यर्थियों ने भी आवेदन दिया। वादी का मेधा सूची के क्रमांक 03 पर नाम था। वादी का कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रमाण–पत्र नेपाल का होने के कारण उनका चयन नहीं किया गया एवं विपक्षी सं0–05 (सिकंदर अंसारी) का चयन कर लिया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य दावा यह है कि वादी का कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र नेपाल का है, जिस आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति ने उनका चयन नहीं किया है परंतु और भी अन्य परियोजनाओं में नेपाल का कम्प्यूटर प्रमाण–पत्र के आधार पर चयन किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश ज्ञापांक 67/आ0 दिनांक 30.01.2018 द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन किया गया या उसके कंडिका 13 में स्पष्ट

WEB COPY NOT OFFICIAL

रूप से उल्लेखित किया गया है कि ''आवेदक शैक्षणिक योग्यता (अधिकतम) तथा कम्प्यूटर संबंधित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ही होना चाहिए'' जिस आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति में विपक्षी सं0–05 (सिकंदर अंसारी) का चयन किया है जो नियमानुकूल है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है। आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। इस आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL